Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 181–2021/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021 (KARTIKA 15, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 नवम्बर, 2021

संख्या श्रम/25467/2021.–हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का 3) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त उप–धारा के प्रयोजनों के लिए जनवरी 2022 के 15वें दिन को विनिर्दिष्ट करते हैं।

डॉ० राजा सेखर वुंदरु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 6th November, 2021

No. Lab/25467/2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 1 of the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 (3 of 2021), the Governor of Haryana hereby specifies the 15th day of January, 2022 for the purposes of said sub-section.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

9370—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 6–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JANUARY 10, 2022 (PAUSA 20, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जनवरी, 2022

संख्या लैब/1128.– हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का 03) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ –

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन नियम, 2021 कहे जा सकते है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) ये नियम हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का 3) के लागू होने की तिथि से लागू होंगें।

परिभाषाएं.–

2. (1) इन नियमों में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का 3);

(ख) ''अधिवासित व्यक्ति'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऐसी शर्तों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर, जारी की जाएं, को पूरा करने वाला तथा हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के अधीन जारी किया परिवार पहचान पत्र रखने वाला हरियाणा का मूल निवासी;

(ग) **''कर्मचारी''** से अभिप्राय है, ऐसे वेतन या मजदूरी या किसी अन्य पारिश्रमिक के भुगतान पर नियोक्ता द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति, किन्त इसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन कोई शिक्षु शामिल नहीं है ;

(घ) **''प्ररूप''** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ड़) **''हरियाणा उद्यम ज्ञापन पहचान संख्या (एचयूएमआईडी)'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में संचालित सभी किस्म के उद्यमों तथा कारबारों को एचयूएव पोर्टल पर उनके पंजीकरण के लिये जारी की गई विशिष्ट पहचान संख्या ;**

(च) **"तिमाही"** से अभिप्राय है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई, प्रथम अक्तूबर तथा प्रथम जनवरी, जैसी भी स्थिति हो, से प्रारम्भ तीन कलैण्डर मास की अवधि।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा इनमें अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं।

नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों का पंजीकरण.–

3. हरियाणा उद्यम ज्ञापन पहचान संख्या (एच यू एम आई डी) का प्रयोग करने वाला प्रत्येक नियोक्ता अपने सभी कर्मचारियों, जो सकल मासिक वेतन या मजदूरी जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन समय–समय पर, अधिसूचित की जाए, को पदाभिहित पोर्टल पर प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के अपेक्षित ब्योरे मुहैया कराते हुए पंजीकृत करेगा।

स्थानीय उम्मीदवारों का पंजीकरण–

4. स्थानीय उम्मीदवार जो इस अधिनियम के अधीन नियोजन चाहता है, प्ररूप–I में पदाभिहित पोर्टल पर पंजीकृत करेगा।

छूट आवेदन–

5. (1) नियोक्ता जो अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों से छूट चाहता है, प्ररूप–I में पदाभिहित को पदाभिहित पोर्टल पर आवदेन करेगा तथा कथित पद के लिए योग्यता, कौशल तथा अनुभव की विशिष्ट अपेक्षा तथा ऐसी योग्यता, कौशल तथा अनुभव रखने वाले स्थानीय उम्मीदवारों की उपलब्धता या अन्यथा उसमें वर्णित करते हुये ऐसी छूट प्रदान करने के युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 5 के अधीन ऐसे अनुरोध के सम्यक् विचारण के बाद, पदाभिहित अधिकारी पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा तथा पदाभिहित पोर्टल पर उसे अपलोड करेगा। पदाभिहित अधिकारी धारा 5 के अधीन छूट का दावा करने के लिए नियोक्ता द्वारा ली गई छूट के आधारों की जांच या सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत, अधिकारी की ऐसी सहायता, जो वह उचित समझे, ले सकता है :

परन्तु इन नियमों के अधीन प्रदान की गई कोई छूट, छूट प्रदान करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी :

परन्तु यह और कि एक वर्ष की अवधि से अधिक छूट प्रदान करने के बाद कोई रिक्ति खाली रह जाती है, तो वह तब तक नई या नूतन के रूप में समझी जाएगी जब तक अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (।।।) के अधीन प्रशिक्षण मुहैया कराने के अध्यधीन छूट प्रदान नहीं कर दी जाती।

स्थानीय उम्मीदवार द्वारा की गई शिकातयों का निपटान.–

6. (1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध की उल्लंघना में किसी नियोक्ता की कार्रवाई से व्यथित कोई स्थानीय उम्मदीवार, प्ररूप–II में यथा विनिर्दिष्ट फारमैट में सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी को पदाभिहित पोर्टल पर इलैक्ट्रोनिक ढंग के माध्यम से शिकायत दायर कर सकता है।

(2) स्थानीय उम्मीदवार की शिकायत की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी शिकायत में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करने के बाद, सम्बन्धित नियोक्ता तथा शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करेगा तथा दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद तीस दिन के भीतर शिकायत का निपटान करेगा तथा उसे पोर्टल पर अपलोड करेगा।

नए नियोजन के लिए तिमाही विवरणी.–

7. प्रत्येक नियोक्ता पूर्व तिमाही के दौरान, नियोजित तथा नियुक्त स्थानीय उम्मीदवारों के सम्बन्ध में, प्ररूप–III में पदाभिहित पोर्टल पर आगामी तिमाही के 20वें दिन तक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

डिजीटल रूप में रिकार्ड का अनुरक्षण.–

8. (1) प्रत्येक नियोक्ता, निम्नलिखित का डिजीटल रूप में रिकार्ड रखेगा तथा पदाभिहित अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निरीक्षण तथा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराएगा :–

(क) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को कर्मचारियों (नियमित, अस्थाई, संविदात्मक, आकस्मिक तथा नियत अवधि कर्मचारी) की संख्या;

(ख) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को कर्मचारियों के व्यावसायिक/पद–वार ब्योरे;

(ग) प्रत्येक तिमाही के दौरान भर्ती/नियुक्त स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या;

(घ) उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण तिमाही के दौरान प्राप्त की गई छूट का रिकार्ड;

(ङ) स्थानीय उम्मीदवारों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण या कौशल विकास हेतु आयोजित शिविरों का रिकार्ड;

(च) कोई अन्य सुसंगत रिकार्ड।

(2) डिजिटल रूप में रिकार्ड की प्रस्तुति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य होगी।

निरीक्षण के लिए प्रक्रिया.–

9. यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना के समबन्ध में कोई सूचना या शिकायत प्राप्त होती है तो प्राधिकृत अधिकारी, श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति लें, तीन दिन का पूर्व नोटिस देने बादे निम्नलिखित के संबंध में नियोक्ता का निरीक्षण कर सकता है :–

(क) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अपंजीकरण कर्मचारियों ;

(ख) अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों का अननुपालन;

(ग) मिथ्या या तुच्छ आधारों पर, इस अधिनियम के उपबन्ध से छूट का दावा करने;

(घ) अधिनियम के अधीन झूठी सूचना या रिपोर्ट की प्रस्तुति;

(ङ) स्थानीय उम्मीदवारों से अन्यथा किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में संदिग्ध रिकार्ड या सूचना देना।

अपील–

10. (1) अपील दायर करने वाला नियोक्ता, साठ दिन के भीतर, अपील के उपवर्णित संक्षेप आधारों पर अपील के ज्ञापन से संलग्न दोहरी प्रति लगाएगा, जिसकी एक प्रति इलैक्ट्रोनिक ढंग के माध्यम से एक सौ रूपए फीस के भुगतान के सबूत वाली होगी तथा प्रतिवाद आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(2) अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी की सन्तुष्टि होने पर कि अपील के आधार युक्तियुक्त हैं अपीलार्थी तथा प्राधिकारी, को व्यक्तिगत रूप में या प्राधिकृत प्रतिनिधि या विधि व्यवसायी, जो मामले के तथ्य से परिचित हो, के माध्यम से कथित नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय पर अपना मामला पेश करने के लिए प्ररूप–IV में नोटिस जारी करेगा।

(3) अपील प्राधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद तथा ऐसी आगामी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, आदेश या निर्देश को पुष्ट, परिवर्तित या अपास्त कर सकता है जिसके विरूद्ध अपील की गई है तथा तद्दानुसार आदेश करेगा।

डॉ० राजा सेखर वुंदरू,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

चण्डीगढः
दिनांक : 10 जनवरी, 2022.

प्ररूप–I

[*देखिए नियम 5 (1)*]

छूट आवेदन

सेवा में

पदाभिहित प्राधिकारी,

....

मैं, ... नियोक्ता/अधिभोगी/स्वामी/मैसर्ज .... का भागीदार (बी आई पी नम्बर सहित) नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार स्थानीय उम्मीदवार मांगने के लिए अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करता हूं :–

क्रम संख्या	वर्णन	नियोक्ता द्वारा टिप्पणी
1.	पद के लिए वांछित कौशल	
2.	पद के लिए योग्यता	
3.	पद के लिए निपुणता	
4.	भरे जाने वाले पद (पदों) की संख्या	
5.	रोजगार की अस्थायी अवधि	
6.	पद के लिए पारिश्रमिक/मजदूरी	
7.	तैनाती का स्थान	

यह कथित किया जाता है कि मैंने .... उपरोक्त वर्णित पदों के लिए उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार को पता लगाने के लिए हरसम्भव प्रयास किया है किन्तु वह उपलब्ध नहीं है/हैं।

मेरे द्वारा उपरोक्त दिये गये औचित्य तथा किए गए प्रयास के दृष्टिगत यह अनुरोध किया जाता है कि अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों से छूट .... (तीन मास/छह मास/एक वर्ष) की अवधि के समय लिए वर्तमान नियोजन/भर्ती/पद के लिए मुहैया की जाए।

यह भी कथित किया जाता है कि छूट की उक्त अवधि के दौरान यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता कि उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार की पहचान की जाएगी तथा हमारी स्थापना के अपेक्षित मानक के लिए कौशल स्तर तक सुधार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दिए गए तथ्यों को विवरण, निम्नहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सही है।

तिथि सहित स्थापना की मोहर के साथ
नियोक्ता/स्वामी/अधिभोगी/भागीदार
के हस्ताक्षर

प्ररूप–II

[*देखिए नियम 6 (1)*]

स्थानीय उम्मीदवार द्वारा शिकायत/आवेदन

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी,

....

विषयः– शिकायत आवेदन।

मैं, ... सपुत्र .... निवासी .... हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हूं। मेरा हरियाणा निवास प्रमाणपत्र संख्या .... है जो मेरे आवेदन के साथ अपलोड किया गया है। मैं हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का 3) के अधीन लाभ का दावा करने के लिए पूर्ण रूप से पात्र हूं। विरोधी पक्षकार/पक्षकारों .... (स्थापना का नाम तथा पता) .... जिसके नियोक्ता का नाम .... है, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहा है। नियोक्ता द्वारा किए गए उल्लंघन (उल्लंघनों) का ब्योरा निम्न अनुसार है :–

1. ....
2. ....
3. ....

उपरोक्त उल्लंघनों के आधार पर मैं, ... (आवेदक) प्रार्थना करता हूं कि अधिनियम के उपबन्ध (उपबन्धों) के अधीन निर्देश जारी किए जाएं तथा निम्नलिखित राहत शीघ्रता से मुहैया कराई जाएं:–

दावाकृत राहत के ब्योरों का वर्णन ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दिए गए तथ्यों के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सही है।

सम्पर्क संख्या सहित आवेदक के
हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

प्ररूप–III

[*देखिए नियम 7*]

नए नियोजन के लिए तिमाही विवरणी

हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का 3) के अधीन निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है :–

नियोक्ता का नाम तथा पता	
क्या मुख्यालय या शाखा कार्यालय है	
स्थापना की किस्म (कम्पनी, सोसाइटी, सिमित दायित्व भागीदारी फर्म, भागीदारी फर्म या अन्य स्थापना)	
कारबार का स्वरूप तथा स्थापना के मुख्य कार्यकलाप	
पदाभिहित पोर्टल पर स्थापना पंजीकरण संख्या	
नियोक्ता का नाम तथा पता	

1. **वर्तमान नियोजन**

प्रशिक्षुओं को छोड़कर,स्थापना की वेतन पंजी पर व्यक्तियों की कुल संख्या, अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा विहित मासिक वेतन/मजदूरी प्राप्त करते हैं।

(i) **पूर्व तिमाही (तिथि तक) के अन्तिम कार्य दिवस को**									
पुरूष	**महिला**	**ट्रांसजेंडर**	**अकुशल**	**अर्ध कुशल**	**कुशल**	**उच्चतर कुशल**	**स्थानीय उम्मीदवार**	**स्थानीय उम्मीदवार से अन्यथा**	**कुल**
कुल									
(ii) **चालू तिमाही (तिथि तक) के अन्तिम कार्य दिवस को**									
पुरूष	**महिला**	**ट्रांसजेंडर**	**अकुशल**	**अर्ध कुशल**	**कुशल**	**उच्चतर कुशल**	**स्थानीय उम्मीदवार**	**स्थानीय उम्मीदवार से अन्यथा**	**कुल**
कुल									

2. **तिमाही के दौरान रिक्तियों तथा तिमाही के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या के ब्योरे :**

रिपोर्टाधीन तिमाही के दौरान हुई रिक्तियों की संख्या	**रिपोर्टाधीन तिमाही के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या**	**स्थानीय उम्मीदवार**	**स्थानीय उम्मीदवारों से अन्यथा**	**नए रोजगार का कुल**

3. मानवशक्ति की कमी, यदि कोई हो।

व्यवसाय/सेवा का नाम या पदनाम	नहीं भरे गए पदों की संख्या	अपेक्षित योग्यता	अपेक्षित अनुभव	अपेक्षित कौशल/प्रशिक्षण

प्रमाणन :

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में दिए गए तथ्यों के विवरण निम्नहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सही है।

मोहर तथा तिथि सहित स्थापना के नियोक्ता/
स्वामी/अधिभोगी/भागीदार के हस्ताक्षर

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी,

....

टिप्पणः– रिपोर्टाधीन तिमाही के अन्तिम कार्य दिवस से 20 दिन के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी भरी जानी अपेक्षित है।

प्ररूप–IV

[*देखिए नियम 10 (2)*]

सेवा में,

....

....

विषयः– उपस्थिति के लिए नोटिस।

चूंकि, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का 03) के अधीन पदाभिहित अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के आदेश दिनांक ....के विरूद्ध अपील आवेदन के रूप में मुझे प्रस्तुत की गई है जिसके लिए एक प्रति संलग्न की गई है, इसके द्वारा, आपको या तो व्यक्तिगत रूप में आवेदन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ विधिवत् अनुदेशित किसी व्यक्ति द्वारा, या जो आवेदन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य किसी व्यक्ति के साथ, या जो सभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योग्य किसी व्यक्ति के साथ, दावे के उत्तर देने के लिए पूर्वाह्न/अपराह्न में .... के .... दिन को .... बजे मेरे सम्मुख पेश होने के लिए बुलाया जाता है तथा जैसा कि आपकी उपस्थिति के लिए नियत दिन आवेदन के अन्तिम निपटान के लिए नियत किया गया है, आपको सभी गवाहों जिसके साक्ष्य तथा दस्तावेज जिस पर आप अपने बचाव के समर्थन में उत्तर देने का आशय रखते हैं सहित उस दिन को पेश करने के लिए तैयार होना चाहिए।

यह भी ध्यान में रखें कि पूर्वोक्त वर्णित दिन को आपकी उपस्थिति की चूक में आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी तथा अवधारित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन

दिनांक .... को दिया गया।

मोहर ....

प्राधिकारी

नाम ....
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 10th January, 2022

No Lab/1128.-In exercise of the powers conferred under section 24 of the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 (03 of 2021),the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana State Employment of Local Candidates Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of coming into force of the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 (3 of 2021).

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, -

(a) **"Act"** means the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020(3 of 2021);

(b) **"domiciled person"** means a bonafide resident of Haryana satisfying the conditions as may be issued by the Government from time to time and having ParivarPehchanPatra (PPP) issued under the Haryana ParivarPehchan Act, 2021 (20 of 2021) for the purposes of this Act;

(c) **"employee"** means any person employed by the employer on payment of salary or wages or any other remuneration, but does not include an apprentice engaged under the Apprentices Act, 1961 (Central Act 52 of 1961);

(d) **"form"** means form appended to these rules.

(e) **Haryana Udhyam Memorandum Identification Number (HUM ID)"** means unique identification number to be issued on resistance to all types of enterprises and businesses operating in the State at Haryana Udhyam Memorandum Portal;

(f) **"quarter"** means a period of three calendar months commencing from the 1st April, 1st July, 1st October and 1st January, as the case may be, of every financial year.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Registration of employees by the employer.

3. Every employer using its Haryana Udhyam Memorandum Identification Number shall register all its employees, who receive gross monthly salary or wages as notified from time to time under section 3 of the Act by providing the required details of each such employee,in the form as specified on the designated portal.

Registration of Local Candidate.

4. Local Candidate who seeks employment under this Act may register on the designated portalin the format as specified on the designated portal.

Exemption application.

5. (1) Any employer who seeks exemption from the provisions of section 4 of the Act, shall apply on the designated portal to the Designated Officer in the format as specified in **Form-I** and shall furnish reasonable grounds for granting such exemption mentioning there in the specific requirement of qualification, skill and experience for the said post and availability or otherwise of the Local Candidates possessing such qualification, skill and experience.

(2) The Designated Officer after due consideration of such request under section 5 of the Act, shall pass an order within a period of fifteen days and upload the same on the designated portal.The Designated Officer may for the purpose of conducting inquiry or verifying the grounds of exemption taken by the employer for claiming exemption under section 5, take such assistance,as he deems fit,of the Authorized Officer.

Provided that any exemption granted under these rules shall be valid for a maximum period of one year from the date of grant of the exemption.

Provided further that any vacancy remain unfilled after granting the exemption beyond the period of one year,shall be treated as new or fresh vacancy unless the exemption is granted subject to providing training sub clause (iii) of under sub-section (2) of section 5 of the Act.

Disposal of the complaints made by Local Candidate.

6. (1) Any Local Candidate aggrieved by the action of any employer in violation of any provision of this Act, may file a complaint through electronic mode on the designated portal to the concerned Authorized Officer in the format as specifiedin **Form-II**.

(2) The Authorized Officer, on receipt of a complaint of a Local Candidate, shall, on verifying the facts mentioned in the complaint, issue notices to the concerned employer as well as the complainant and dispose-of the complaint within a period of thirty day, after giving an opportunity of being heard to both the parties and upload the decision on the portal.

Quarterly return for new employment.

7. Every employer shall furnish a quarterly report, with respect to Local Candidates employed and appointed, during the previous quarter,by 20th day of the following quarter,on the designated portal,as per format in **Form-III.**

Maintenance of records in digital form.

8. (1) Every employer shall maintain records and make available for inspection and verification by the Designated Officers / Authorized Officers,as the case may be, in digital form,as under :-

(a) number of employees (regular, temporary, contractual, casual and fixed term employee) on the last date of every quarter.

(b) occupational/ post-wise details of employees on last date of every quarter.

(c) number of Local Candidates recruited / appointed during every quarter.

(d) record of exemption obtained during the quarter due to non-availability of suitable candidates.

(e) record of training imparted or camp for skill development organized for Local Candidates.

(f) any other relevant record.

(2) The production of record in digital form shall be acceptable for the purpose of this Act.

Procedure for inspection.

9. In case any information or complaint with regard to violation of any of the provisions of the Act or Rules made there under has been received, the Authorized Officer, with the prior permission of the Labour Commissioner, may after giving three days prior notice, inspect any employer on the following, ground, namely:-

(a) non registration of employees in terms of section 3 of the Act;

(b) non-compliance of the provision of section 4 of the Act;

(c) claiming exemption from the provision of this Act on false or frivolous grounds;

(d) submission of fake information or report under the Act;

(e) suspicious records or information about the appointment of person other than Local Candidates in violation of the provision of this Act.

Appeal.

10. (1) Any employer preferring an appeal shall accompanied in duplicate a memorandum of appeal setting forth concisely the grounds of the appeal, one copy of which shall bear a proof of payment of fee of one hundred rupees through electronic mode and a certified copy of the impugned order or direction.

(2) On receipt of the appeal, the Appellate Authority, having been satisfied that the grounds of appeal are reasonable, shall issue,notice as per **Form-IV**to the appellant and to the Authority to present their case in person or through an Authorized representative or legal practitioner who is well acquainted with the fact of the case, on the date and time as specified in the said notice**.**

(3) The appellate authority, after hearing the parties and after such further inquiry,as it may deem necessary, may confirm, vary or set aside the order or directions from which, the appeal is preferred and shall make an order accordingly.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

Chandigarh:
The 10th January, 2022.

Form-I

[see rule 5(1)]

Exemption Application.

To,

The Designated Officer,

………………………….

I, ………………Employer/ Occupier / Owner / Partner of M/s ……………………(alongwith BIP No.) have submitted the application under section 5 of the Act for want of the Local Candidate as per the description given below:-

Sr. No.	Description	Remarks by employer
1.	Desired Skill for the post	
2.	Qualification for the post	
3.	Proficiency for the post	
4.	No. of post (s) to be filled	
5.	Tentative duration of employment	
6.	Remuneration / Wages for the post	
7.	Place of posting	

It is stated that I………………..have made every effort to find out suitable Local Candidate for the posts mentioned above but same is/are not available.

In view of the above, justification and efforts made by me, it is requested that the exemption from the provision of section 4 of the Act may be provided to the present employment / recruitment / post for a time period of …………………. (Three months/ six months/ one year).

It is also stated that during the said period of exemption, if so directed by the Designated Officer, suitable Local Candidates shall be identified and necessary training shall be taken up to improve the skill level to the required standard of our establishment,.

It is certified that the statement of facts contained in this application is accurate, to the best of him knowledge and belief of the undersigned.

Signature of Employer/ Owner/ Occupier/Partner
alongwith seal of Establishment with date

Form-II

[see rule 6(1)]

Complaint/Application byLocal Candidate.

To,

The Authorize Officer,

Subject: Complaint application.

I, …………. S/o …………….. is a permanent Resident of…………State of Haryana. My Haryana Resident Certificate no. is ……………………..,which is uploaded alongwith my application. I am fully eligible for claiming benefit underthe Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020. The opposite party / parties ………………………(Name and address of Establishment)………………………. Whose employer name……………………. is violating the provisions of this Act. The detail of violation (s) made by the employer is as follows:-

1.
2.
3.

On the basis of the above violations I, …………………. (Applicant) prays that a direction may be issued under the provision (s) of the Act and following relief may be provided at the earliest:-

Mention the detail of the relief claimed…………………………

It is certified that the statement of facts contained in this application is to the best of him knowledge and belief accurate.

Signature or thumb impress of the applicant

With contact no.

Form-III

[see rule 7]

Quarterly return for new employment

The following information is required to be submitted under the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020.

Name and Address of the Employer	
Whether – Head Office or Branch Office.	
Type of Establishment (Company, Society, Limited Liability Partnership Firm, Partnership Firm or other establishment)	
Nature of business and Principal activity of the establishment	
Establishment Registration No. on designated portal	
Name and Address of the Employer	

1. Present Employment

Total number of persons on the pay roll of the establishment who draw monthly salary / wages as prescribed under section 3 of the Act, excluding apprentices.

(i) **On the Last working day of the previous quarter (as on date).**									
Men	**Women**	**Transgender**	**Unskilled**	**Semi-Skilled**	**Skilled**	**Higher Skilled**	**Local Candidates**	**Other than Local Candidates**	**Total**
Total									

(ii) **On the Last working day of the current quarter (as on date).**									
Men	**Women**	**Transgender**	**Unskilled**	**Semi-Skilled**	**Skilled**	**Higher Skilled**	**Local Candidates**	**Other than Local Candidates**	**Total**
Total									

2. Details of vacancies during the quarter and the number of vacancies filled during the quarter.

No. of Vacancies occurred during the quarter under reporting	**No. of vacancies filled up during the quarter under reporting**	**Local Candidates**	**Other than Local Candidates**	**Total of new employment**

3. Manpower Shortages, if any.

Name of the Occupation /Services or Designation posts	No. of unfilled posts	Qualification required	Experienced required	Skill/Training required

Certification:

It is certified that the statement of facts contained in this application is to the best of him knowledge and belief accurate.

Signature of Employer / Owner/ Occupier /Partner of the establishment with seal & Date

To

The Authorized Officer,

Note:- The return is required to be filed, to the Authorized Officer, within twenty days from the last working day of the quarter under reporting.

Form-IV

[see rule 10(2)]

To,

____

____

Subject: Notice for appearance.

Whereas under the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 (Haryana Act no. 03 of 2021) an appeal against the order of ……………………Designated Officer / Authorized Officer has been presented to me in the application for which a copy is enclosed, you are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed, an able to answer all material questions relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all material relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such question, on the……………………day of……….at ……….o'clock in the forenoon/afternoon to answer the claim; and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to reply in support of your defense.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal, this day of …………………….

Authority

Name………………………

(Stamp) ……………………